उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3
संख्या-२८/२०१८/1175/52-3-2018-सा(१९)/२०१८
लखनऊ: दिनांक: १६ अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं एवं सुविधाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम-2017, जिसे उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2704/79-वी-1-17-1(क) 25/17, दिनांक 06 जनवरी, 2018 द्वारा जारी किया गया है, की धारा-1 की उपधारा-3 एवं 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते विभागीय योजनाओं में आच्छादित अथवा इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों/छात्रों को उनकी कठिनाइयों के निराकरण तथा व्यक्ति को शीघ्र लाभ प्रदान करने हेतु संचालित योजनाओं में आधार कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु बहुद्देशीय अभिलेखों को आधार से जोड़ा जाना आवश्यक है। आधार से जोड़ने के पश्चात योजनाओं में पारदर्शिता आयेगी तथा व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने हेतु बहुदस्तावेज की आवश्यकता नही होगी तथा सही लाभार्थियों/छात्रों को योजना का लाभ देने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण भी होगा।

तदनुसार अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं यथाः-

(1) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना
(2) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना
(3) पुत्री की शादी अनुदान योजना

द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदानों, सहायिकियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधाओं, जो उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित है, के परिदान के लिए आधार पहचान को जोड़े जाने हेतु निम्नलिखित नियम प्राविधानित किये जा रहें हैं -

(1) अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक लाभार्थी द्वारा आधार संख्या उपलब्ध कराया जाना अथवा उसका आधार आथेन्टिकेशन कराया जाना आवश्यक है।

(2) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति/लाभार्थी, जिसने आधार संख्या हेतु पंजीकरण नहीं कराया है, उस स्थिति में उसे आधार हेतु अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

(3) जब तक लाभार्थी द्वारा अपना आधार नहीं बनवा लिया जाता है अथवा उसकी आधार संख्या उसके डाटावेस में अपडेट होने तक ऐसे व्यक्ति/लाभार्थी को योजनाओं का लाभ निम्नलिखित दस्तावेज के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगाः-

(अ) (1) आधार पंजीकरण के समय उपलब्ध कराये जाने वाले इनरोलमेन्ट संख्या की रसीद,
(2) लाभार्थी द्वारा आधार की सूचना अपडेट कराने के समय उपलब्ध करायी गयी रसीद की प्रति,

(ब) आधार इनरोलमेन्ट संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्न दस्तावेज मान्य हैः-
(1) मतदाता पहचान पत्र,
(2) राशन कार्ड,
(3) पैन कार्ड,
(4) पास पोर्ट,
(5) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(6) विभागीय पहचान पत्र (क्रमाक सहित)
(7) फोटो सहित बैंक पासबुक,

(8) शिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया गया छात्र का फोटो (क्रमाक/अनुक्रमाक सहित) पहचान पत्र,

(9) प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत/मान्य किया गया क्रमांक सहित अन्य कोई विशिष्ट दस्तावेज।

4- समस्त लाभार्थियों को योजना का समुचित एवं सुगम लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रबन्ध किये जायेगें-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) समस्त लाभार्थियों को आधार की आवश्यकता एवं उसके लाभ हेतु जागरूक किया जायेगा।

(2) यदि लाभार्थी/व्यक्ति का आधार संख्या पंजीकृत करने अथवा अद्यतन करने की सुविधा नजदीक नहीं है तो उक्त सुविधा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग विभाग,उ0प्र0 द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध करायी जा सकती है।

5- उक्त नियमों या तद्धीन बनायी गयी नियमावली की अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशायित किसी कृत्य के लिए कोई भी वाद,अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाही, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरूद्व योजित नहीं की जा सकेगी।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- 1175 (1)/52-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रषितः-

1. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, जन शक्ति नियोजन प्रभाग।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से पे्रषित कि वह जनपद के समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को अपने स्तर से पत्र पे्रषित करने का कष्ट करें।
4. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।